संपादकीय

बदहाल किसान से नहीं बनेगा खुशहाल भारत

जिस दिन देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोहों का श्रीगणेश जोर-शोर से किया गया, उसी दिन देश की राजधानी दिल्ली की उत्तर प्रदेश से सटी सीमा पर किसानों पर लाठियां भांजी गयीं। आंसू गैस के गोले छोड़े गये और उनके ट्रैक्टरों के टायरों की हवा निकाल दी गयी। नहीं, यह काम किन्हीं उपद्रवियों या शरारती तत्वों ने नहीं किया। यह कारगुजारी कृषि प्रधान देश भारत की पुलिस की है। कर्ज माफी और मुफ्त बिजली जैसी परंपरागत मांगों को लेकर हरिद्वार से चली किसान ति यात्रा में शामिल ये किसान राष्ट्रपिता की जयंती पर उनकी समाधि राजघाट जाना चाहते थे, जो पुलिस यानी कि सरकार को मंजूर नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या में किसानों की दिल्ली में उपस्थिति से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के आधार पर ही उनका देश की राजधानी में प्रवेश रोक देना न तो संवैधानिक है और न ही लोकतांत्रिक। लेकिन स्वयंभू राजनीतिक किसान नेतृत्व मौन है। क्या दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक दलों या अराजनीतिक संगठनों के जमावड़ों के लिए पुलिस एहतियाती व्यवस्था नहीं करती? किसानों को एनएच-24 से राजघाट तक का निश्चित मार्ग पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ दिया जा सकता था। उत्तर प्रदेश-दिल्ली सीमा पर पुलिस बर्बरता के बिना भी इन किसानों के प्रतिनिधियों से प्रदेश और केंद्र सरकारें संवेदनशीलता के साथ बात कर सकती थीं, पर ऐसा किया नहीं गया। आखिर क्यों? और यह तब है, जब उत्तर प्रदेश में योगी राज है और देश में किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कभी उत्तर प्रदेश में किसानों के हितों के लिए पदयात्रा करने वाले राहुल गांधी भी अब प्रमोशन पाकर कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके हैं तो देशभर में खुद को धरती पुत्र बताने वाले मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी कमी नहीं है। जाहिर है, देश-प्रदेश की सरकारों में शामिल मंत्रियों तथा सांसद-विधायकों में खुद को किसान बताने वालों की संख्या तो और भी ज्यादा है।

देश और प्रदेशों की सरकारों के पास कर चोरी में माहिर और बैंकों के जरिये करदाताओं की गाढ़ी कमाई से हजारों करोड़ रुपये का कर्ज डकार जाने वाले उद्योगपतियों के लिए समय है। वोट बैंक प्रेरित राजनीतिक आयोजनों के लिए तो समय ही समय है। किसी औद्योगिक सेक्टर पर मंदी छाये तो सरकार बिना बुलाये पैकेज की खैरात बांटने चली जाती है। उद्योगपतियों पर मेहरबानियों के चलते डूबते बैंकों को उबारने के लिए भी करदाताओं की खून-पसीने की कमाई लुटाने में सरकार को संकोच नहीं होता। फिर उस अन्नदाता की गुहार तक सुनने से परहेज क्यों, जो खुद फटेहाल रह कर और कभी-कभी भूखा भी सो कर हाड़ कंपाती ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप तक में देश के लिए खाद्यान्न पैदा करता है? लगभग चार पांच दशक पुरानी बात ही है, जब हमें गेहूं आयात के लिए विदेशों का मुंह ही नहीं ताकना पड़ता था, बल्कि अपमानित भी महसूस करना पड़ता था। आजादी के बाद भी विदेशों पर उस अपमानजनक निर्भरता से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को इन किसानों ने ही अपने जीवट से उबारा, जिन्हें अकसर गंवार कहकर नजरअंदाज किया जाता है और जिनकी उपज का जायज मूल्य भी देने से मुंह चुरा लिया जाता है।

हालांकि इस किसान ति यात्रा में शामिल किसानों की एक मांग 60 साल की उम्र के बाद पांच हजार रुपये पेंशन की भी है, लेकिन मुख्य मुद्दा कृषि और किसान की लगातार चरमराती अर्थव्यवस्था ही है, जिसके कारगर और स्थायी समाधान की सोच तक किसी सरकार ने नहीं दिखायी, दूरगामी नीतियां तो बहुत दूर की बात है। देश और प्रदेश सरकारें समय-समय पर अपने कर्मचारियों के वेतन-पेंशन में ही नहीं, महंगाई भत्ते में भी वृद्धि करती रहती हैं। जाहिर है, यह लगातार बढ़ती महंगाई और उसके चलते जीवनयापन की बढ़ती जरूरतों की स्वीकारोक्ति भी है ही, लेकिन क्या महंगाई के मद्देनजर जरूरतें सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की ही बढ़ती हैं? क्या गैर सरकारी नौकरियों से जीवनयापन करने वाले कहीं अधिक संख्या वाले कर्मी और बिना किसी निश्चित आय के मौसम के मिजाज और सरकार की मेहरबानी पर निर्भर किसान की जरूरतें नहीं बढ़तीं? फिर क्यों नहीं आजादी के सात दशक में भी ऐसी कोई व्यवस्था विकसित की गयी, जो हर नागरिक को जीवन की मूलभूत जरूरतें पूरी करने लायक आय के स्रोत सुनिश्चित कर सके? मध्य आय वर्ग तक की भी सब्सिडी बंद कर केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन और पहला सिलेंडर तो मुफ्त दे दिया, पर उनमें से कितने परिवार दूसरा सिलेंडर खरीद पाये? दरअसल खैरात से जीवनस्तर ऊपर नहीं उठता, उसके लिए ठोस उपाय और दूरगामी नीतियां चाहिए।

फिलहाल कृषि और किसानों की बात करें। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की बड़ी चर्चा होती है। यह वही स्वामीनाथन हैं, जिन्होंने हरित ति के जरिये देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अविस्मरणीय योगदान दिया। अपनी बहुचर्चित सिफारिशों में उन्होंने किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य देने का फॉर्मूला सुझाया। लाभकारी मूल्य भी व्यापारी जैसा मोटा- मनमाफिक नहीं, बल्कि इतना भर कि किसान और उसका परिवार पल सके, लेकिन उन सिफारिशों पर टिकी किसानों की उम्मीदों की सुबह अभी तक नहीं हुई। बेशक स्वामीनाथन आयोग की वे सिफारिशें कांग्रेसनीत संप्रग यानी मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में आयी थीं और उसने ईमानदारीपूर्वक उन्हें लागू करने के बजाय विचार के लिए मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बना दी थी। रिपोर्ट उस कमेटी की भी आयी होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मनमोहन सरकार ने कृषि और किसानों की दशा-दिशा सुधारने के लिए ठोस नीतिगत कदम उठाने के बजाय कृषि कर्ज माफी जैसे लोकलुभावन फैसलों से किसान वोटों को मोहने की कोशिश की । बेशक वर्ष 2009 के लोकसभा चुनावों में उसे इसका लाभ भी मिला, लेकिन 2014 में भाजपा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को भुना ले गयी। किसान वोटों की फसल इस बार भाजपा ने खूब काटी, लेकिन किसान के हिस्से चुनावी वायदों और राजनीतिक दावों के अलावा फिर कुछ नहीं आया।

पीड़िता के मुकरने पर अदालत सख्त

देश में जहां एक ओर यौन अपराधों में वृद्धि हो रही है वहीं ऐसी घटनाओं को सामने लाने के लिये 'मी टू' जैसे अभियान भी सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं लेकिन दूसरी ओर, बलात्कार और यौन शोषण जैसे अपराधों के मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा आरोप से मुकरने की घटनायें भी सामने आ रही हैं। अदालतों में सुनवाई के दौरान पीड़िता के मुकरने की कई वजहें हो सकती हैं। इसके बावजूद, मुकरने की घटनाओं में वृद्धि पर निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक चिंतित है। परंतु अब इस तरह के अपराध के मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता के लिये अपने बयान से मुकरना आसान नहीं होगा। ऐसे अपराध के मेडिकल और दूसरे साक्ष्यों के बावजूद पीड़िता ने ऐसा किया तो उसे भी गलतबयानी के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।

देश की शीर्ष अदालत ने हाल ही में गुजरात में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार और बाद में पीड़िता द्वारा आरोपों से पूरी तरह इनकार करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने हालांकि पीड़िता पर सिर्फ इस वजह से मुकदमा चलाने का आदेश नहीं दिया कि कथित अपराध को 14 साल हो चुके हैं और पीड़िता विवाह के बाद सुखी जीवन गुजार रही होगी।

वैसे यह पहला मौका नहीं है जब बलात्कार और यौन हिंसा के मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़ित अपने बयानों से मुकरी हो। ऐसे मामलों में अदालतों ने सख्त रुख अपनाया है। अदालतों ने ऐसे आरोपों से प्रभावित व्यक्ति को आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की छूट भी दी है। संभवतः यह पहला मामला है जब देश की शीर्ष अदालत ने यौन हिंसा के मामले में पुख्ता साक्ष्य होने के बावजूद आरोपी को बचाने के लिये अदालत में झूठा बयान देने पर पीड़िता के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की आवश्यकता पर टिप्पणी की है।

गुजरात में 2004 में हुए बलात्कार के मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता द्वारा आरोप से मुकरने को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि यौन हिंसा के मेडिकल साक्ष्य उपलब्ध हैं तो पीड़िता के आरोपों से मुकर जाने के आधार पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। यही नहीं, बलात्कार के आरोप से आरोपी को बचाने के प्रयास में पीड़िता पर भी मुकदमा चलाया जायेगा।

अपराध से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के दौरान पीड़िता का बयान से मुकरना या आवेश या किसी के बहकावे में आकर ऐसी शिकायत दर्ज कराने का बयान देने की प्रवृत्ति को अदालतें गंभीरता से लेने लगी हैं। कुछ मामलों में तो अदालतों ने यहां तक टिप्पणी की कि बलात्कार जैसे संगीन अपराध से संबंधित कठोर कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल इस तरह के झूठे मामले में पुरुषों को फंसाने के लिये हथियार के रूप में किया जा रहा है।

संभव है कि इस तरह की घटनायें अपवाद हों लेकिन यह समाज में आ रही विकृति की ओर इशारा करती है। ऐसी स्थिति में सवाल है कि क्या झूठा मामला दर्ज कराने या पुख्ता साक्ष्य होने के बावजूद अदालत में बयान से मुकरने वाली महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या झूठे मामले की वजह से समाज और परिवार में कलंकित होने वाले व्यक्ति को ऐसी महिला के खिलाफ हर्जाने के लिये मुकदमा दायर करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए?

गुजरात की घटना में तो नाबालिग बच्ची से बलात्कार के सारे साक्ष्य होने के बावजूद पीड़िता ने अदालत में ऐसी घटना से इनकार किया। उसके इस कृत्य को अदालत ने आरोपी को बचाने के प्रयास के रूप में लिया। लेकिन महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पिता तीन साल जेल में रहा और मुकदमे की सुनवाई के दौरान लड़की ने स्वीकार किया कि पिता के साथ कहासुनी होने पर उसने यह आरोप लगाये। अदालत ने दिसंबर, 2016 में पिता को तो बरी कर दिया लेकिन लड़की पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया।

वर्ष 2016 में दिल्ली की एक अदालत ने टिप्पणी की थी कि ऐसे मामलों में फंसाये गये व्यक्तियों के संरक्षण के लिये भी अब कानून की आवश्यकता है। अदालत ने कहा था कि झूठे मामले में फंसाया गया व्यक्ति शिकायतकर्ता के खिलाफ हर्जाने का दावा कर सकता है।

दरअसल, गवाह संरक्षण कानून को सुदृढ़ बनाने के साथ ही सुनिश्चित करना जरूरी है कि पीड़िता और उसके परिवार को किसी दबाव से संरक्षण दिलाया जाये। वहीं सुनिश्चित हो कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को आवेश में आकर अपने स्वार्थ की खातिर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के झूठे मामले में नहीं फंसाया जाये। यदि झूठा फंसाने की बात साबित हो तो प्रभावित व्यक्ति को समुचित मुआवजा मिले।

शतरजं: विश्व ओलम्पियाड में भारतीय पुरुष टीम हारी, महिला टीम ने खेला ड्रॉ

चेन्नई (आरएनएस)। पांचवीं सीड भारतीय पुरुष टीम को बुधवार को विश्व शतरंज ओलम्पियाड में आठवीं सीड अर्मेनिया ने 2.5-1.5 के अंतर से हरा दिया। हालांकि भारतीय महिला टीम इटली को 2-2 से ड्रॉ पर रोकने में कामयाब रही। भारतीय पुरुष टीम ने अर्मेनिया के खिलाफ तीन ड्रॉ मैच खेले जबकि एक मैच में उसे हार मिली। इस हार के साथ उसके पदक जीतने की संभावनाएं कम हो गई हैं।

सफेद मोहरों से खेलते हुए पूर्व विश्व चैंपियन भारत के विश्वनाथ आनंद ने लेवोन अरोनियन को 31 चाल में ड्रॉ पर रोक दिया। वहीं पी. हरिकृष्णा ने काले मोहरों से खेलते हुए गेब्रिएल सार्जिसियान से 25 चालों में बाजी ड्रॉ करा ली। इसी तरह बी. अधिबान ने रांट मेलकुमयान के साथ ड्रॉ खेला।

चौथे बोर्ड पर के. शशीकरण, एम. मात्रीरोसयान से मात खा गए। भारतीय महिला टीम की सदस्य कोनेरू हम्पी ने 33 चालों में ओल्गा जिमिना के साथ ड्रॉ खेला। दूसरे बोर्ड पर हरिका द्रोणावल्ली ने 40 चालों की बाजी में इलिना सेडिना को मात दी तो वहीं तानिया सचदेवा मारियान ब्रूनेलो से मात खा बैठीं। चौथे बोर्ड पर पद्मिनी राउत ने 50 चालों में डेनिएला मोविलेनू को ड्रॉ पर रोक दिया।

सुल्तान ऑफ जोहोर कप के लिए रवाना हुई भारतीय जूनियर हॉकी टीम

बेंगलुरू (आरएनएस)। जोहोर बाहरू शहर में छह अक्टूबर से शुरू होने वाले सुल्तान ऑफ जोहोर कप के आठवें संस्करण में भाग लेने के लिए भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम बुधवार को यहां से मलेशिया के लिए रवाना हुई। हॉकी इंडिया के अनुसार, इस टूर्नामेंट के जरिए 10 भारतीय खिलाड़ी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। भारतीय टीम ने पिछले संस्करण में कांस्य पदक पर कब्जा किया था। टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले मिडफील्डर विवेक सागर प्रसाद और फारवर्ड दिलप्रीत सिंह को जल्द ही सीनियर टीम में शामिल कर लिया गया था।

टीम के कोच जूड फेलिक्स ने कहा, पिछले साल भी हम नई टीम लेकर गए थे और लगभग सभी खिलाड़ी पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग ले रहे थे। जब टूर्नामेंट आगे बढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि हम फाइनल तक पहुंच सकते थे और कांस्य पदक जीतना निराशाजनक रहा। हालांकि, इस संस्करण में जब 10 खिलाड़ी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, हम उन आठ खिलाड़ियों का अधिक जिम्मेदारियां देंगे जिन्हें पिछले साल खेलने का अनुभव है और वह कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी खेले चुके हैं। भारत के कप्तान मंदीप मोर होंगे और टीम का पहला मैच मेजबान मलेशिया के खिलाफ होगा।

राजकोट टेस्ट में काली पट्टी बांधकर उतरे क्रिकेटर

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच राजकोट में सीरीज के पहले टेस्ट में गुरुवार को दोनों टीमों के क्रिकेटर अपनी-अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर उतरे। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दरअसल, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर केमार रोच की नानी का निधन हो गया था जिसके चलते वह बारबाडोस लौट गए। वह पहले टेस्ट मैच में टीम के साथ भी नहीं हैं।

इसी के चलते उनकी नानी को श्रद्धांजलि देने के लिए दोनों टीमों के क्रिकेटर अपनी-अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर उतरे।

पहले टेस्ट के बीच में जुड़ेंगे रोच

वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ केमार रोच भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं खेले। उन्हें अपनी नानी के निधन के कारण बारबाडोस वापस लौटना पड़ा। रोच पहले टेस्ट के बीच में टीम के साथ जुड़ेंगे। वेस्ट इंडीज के कोच स्टुअर्ट लॉ ने कहा, 'केमार अब तक नहीं लौटे हैं। उसके परिवार में निधन हो गया था और वह पहले टेस्ट के बीच में टीम से जुड़ेंगे।'

पृथ्वी का डेब्यू

18 साल के पृथ्वी पंकज शॉ इस मैच से टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। शॉ की कप्तानी में ही भारत ने इसी साल अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीता था।

शॉ ने पिछले साल इसी मैदान पर रणजी ट्रोफी में पदार्पण किया था और शतक बनाया था। वह भारत के लिए टेस्ट पदार्पण करने वाले 293वें खिलाड़ी हैं।

टेनिस : चीन ओपन के क्वार्टर फाइनल में एडमंड

बीजिंग (आरएनएस)। ब्रिटेन के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी केल एडमंड ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए चीन ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जानकारी के अनुसार, गुरुवार को पुरुष एकल वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में एडमंड ने इटली के माटेओ बेर्टेनी को मात दी।

ब्रिटेन के 23 वर्षीय खिलाड़ी ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में माटेओ को 7-5, 6-7, 7-5 से मात देकर अंतिम-8 में अपनी जगह बना ली है। उनका सामना अब क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया के क्वालीफायर डुसान लाजोविक से होगा। लाजोविक ने अपने प्री-क्वार्टर फाइनल में ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-4, 2-6, 6-4 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

टेनिस : ओसाका चीन ओपन के क्वार्टर फाइनल में

बीजिंग (आरएनएस)। अमेरिका की दिग्गज सेरेना विलियम्स को हराकर इस साल अमेरिकी ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली जापानी खिलाड़ी बनीं नाओमी ओसाका ने गुरुवार को चीन ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। महिला एकल वर्ग में खेले गए अंतिम-16 दौर के मैच में ओसाका ने वर्ल्ड नम्बर-10 जूलिया जॉर्जेस को मात दी।

वर्ड नम्बर-8 ओसाका ने जर्मनी की टेनिस खिलाड़ी जूलिया को सीधे सेटों में 6-1, 6-2 से मात देकर अंतिम-8 में कदम रख लिया है। क्वार्टर फाइनल में अब ओसाका का सामना जर्मनी की एंजेलीक केर्बर और चीन की झांग शुआई के बीच होने वाले प्री-क्वार्टर फाइनल मैच की विजेता खिलाड़ी से होगा।

आज का राशिफल

मेष: दिन खुशियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्य में सफलता मिलेगी। घर का वातावरण सुखमय रहेगा। नायके से अच्छे समाचार मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ की संभावना है।

वृषभ: दिन लाभदायक रहेगा लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मन में चिंता रह सकती है और स्वास्थ्य नरम हो सकता है। घर में विरोध का वातावरण रह सकता है। खर्च पर लगाम रखें। किसी गलत फैसले से गलतफहमी हो सकती है।

मिथुन: व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। व्यापार तथा आय में वृद्धि होगी। मित्रों से लाभ होगा। विवाह की इच्छा रखने वालों के लिए जीवनसाथी मिलने के योग हैं।

कर्क: अधिकारी खुश रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति का योग है। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। माता से लाभ मिलेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी।

सिंह: आलस्य तथा थकान महसूस करेंगे, उर्जा की कमी रहेगी। मानसिक तनाव रह सकता है। पेट पर्व से परेशान रह सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। ोध पर संयम बरतें।

कन्या: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खान-पान का विशेष ध्यान रखें। वाणी और क्रोध पर संयम रखें। धन खर्च होगा। सरकार-विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहें।

तुला: सांसारिक जीवन में आनंद प्राप्त होगा। सामाजिक कार्य से बाहर जा सकते हैं। व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में यश मिलने का योग है। धनलाभ की संभावना है।

वृश्चिक: पारिवारिक वातावरण उल्लास से भरा रहेगा। तन-मन में स्फूर्ति का संचार होगा। दोस्तों के वेश में छिपे शत्रुओं से सर्तक रहें। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ होगा।

धनु: क्रोध पर संयम रखें। पेट सम्बंधित समस्या रह सकती है। कला के प्रति रुचि रहेगी। संभव हो तो यात्रा टालें। कार्य में सफलता न मिलने से निराशा हो सकती है। मन में चिंता रह सकती है।

मकर: दिन अनुकूल रहेगा। स्फूर्ति का अभाव रह सकता है। परिवारिक झगड़े से बचें। नींद पूरी नहीं होने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान रखें। मन व्यथित रह सकता है।

कुंभ: मानसिक चिंताओं में कमी आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पारिवारिक वातावरण आनंदित रहेगा। भाई-बहनों के साथ संबंधो में मधुरता का अनुभव करेंगे। यात्रा पर जाने की संभावना है।

मीन: बुरे विचारों को मन से हटाइए। क्रोध और वाणी पर संयम बरतें। वाद-विवाद या झगड़े से दूर रहना ही बेहतर है। स्वास्थ्य मिला-जुला रहेगा, खान-पान का जरूर ध्यान रखें।

खाना/खजाना- मद्रासी बड़ा

आवश्यक सामग्री -:1 कप धुली उड़द की दाल ,1 इंच टुकड़ा अदरक ,हरी मिर्च 2 या 3 ,कुछ पतियां मीठी नीम की नमक स्वाद के अनुसार व तलने के लिए घी या तेल ।

बनाने की विधि-: सबसे पहले दाल को भीगो दे । दों घंटें बाद पानी निथार कर सारी सामग्री मिला कर पीस लें । एक प्लास्टिक के टुकड़े पर थोंड़ा सो तेल चुपड़ कर उस पर पीसी दाल के एक एक चम्मच डाले व बड़े के आकार के रिंग बना ले । गरम -गरम तेल या घी मे तले लें। नारयल की चटनी के साथ परोंसे ।

नोंट: इसी मिश्रण मे एक प्याज कतर कर मिलाया जा सकता है या मौसम के अनुसार 1/4 कप महीन कतरी हुई पता गोभी और धनिया मिला सकतें है।

शब्द सामर्थ्य

बाएं से दाएं

1. भारत के वर्तमान वित्तमंत्री 6. हित, उपकार 7. असमान, पूर्वोत्तर का एक राज्य 8. किसी वस्तु व्यक्ति आदि के पहचान सूचक संबोधन का शब्द, संज्ञा 10. शवस्थल पर बनाया गया मकान, योग का अंतिम अंग, तपस्या 13. इंकार करना, ना कहना 14. पिता, क्लर्क, सम्मानीय व्यक्ति 15. आय पर लगने वाला टैक्स, इंकमटैक्स 16. प्रतिद्वंद्वी, प्रेमिका का दूसरा प्रेमी 17. परंपरा, रीति, रिवाज 20. रुप से युक्त, चिह्न, लक्षण, नाटक, एक साहित्यिक अलंकार 23. लोग, प्रजा 25. नामी, नामवर, प्रसिद्ध 27. संसार का स्वामी, बादशाह, सम्राट, ईश्वर 28. फैलाना, खिंचाव पैदा करना।

ऊपर से नीचे

1. मारना, प्रहार करना, आघात करना 2. मिथ्याअभिमान, आडंबर 3. विपत्ति, आफत 4. मालदार, धनवान, अमीर 5. ज्ञान प्राप्त करना, अनुमान लगाना, कल्पना करना 7. हक 9. विवश, लाचार 11. मानकंद, नापने का पैमाना 12. अपमानित और तिरस्कृत 17. संतान उत्पन्न करने की क्रिया, जन्म देने की क्रिया 18. लंबे कपड़े का गट्ठा, पशुओं को रखने की जगह 19. जलयान, वायुयान, जलपोत 21. आश्रय, सहारा 22. घोड़ा, जरा, तनिक 24. जुर्म, गुनाह 26. बाघ की तरह का धारीदार हिंसक एवं विशाल पशु।

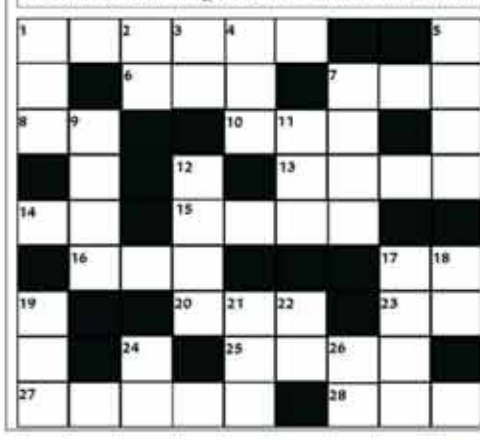

शब्द सामर्थ्य क्रमांक48 का हल

भू	कं	प	■	फा	य	दा	■	स
प	■	ल	ला	ट	■	य	ती	म
ति	ल	क	■	क	न	क	■	झ
■	क्ष्म	■	■	■	रे	■	■	■
ग	ण	क	■	सं	श	य	■	सौ
ह	■	या	च	क	■	म	न्न	त
रा	क्ष	स	■	र	क्ष	क	■	न
■	त्रि	■	■	■	मि	■	■	■
शा	य	री	■	का	त	र	■	गो

सू-दोकू

	2			6			1	
3			4			2		
							6	
6					4			
	9		5			6		1
4		3			9			2
	8		2				7	
1		2		4		9		6

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.48 का हल

8	7	6	9	5	1	2	3	4
1	3	9	2	8	4	5	6	7
4	5	2	3	7	6	9	1	8
2	8	5	4	6	7	1	9	3
3	1	7	8	9	2	4	5	6
6	9	4	1	3	5	7	8	2
9	4	1	6	2	8	3	7	5
7	2	8	5	1	3	6	4	9
5	6	3	7	4	9	8	2	1